

(शासनादेश सं0 4321 / 26-3-97-4(188) / 93 दि0 09-09-1997)

उत्तराखण्ड के अनुसूचित जातियों / जनजातियों के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों
और विधवा पेंशन पा रही सभी वर्गों की निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की
शादी हेतु वित्तीय सहायता के लिए

आवेदन पत्र

1. आवेदक / आवेदिता का पूरा नाम.....
पिता / पति का नाम.....
2. स्थायी निवास / पत्र व्यवहार का पूर्ण पता.....
.....
3. आवेदक / आवेदिता की जाति व उपजाति.....
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति नत्थी की जाय)
4. आवेदक / आवेदिता की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0.....
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र जो 6 महीने से अधिक अवधि का न हो, की प्रमाणित प्रति नत्थी की जाय)
5. वर एवं कन्या का विवरण
(क) कन्या का नाम..... उम्र.....
(ख) वर का नाम..... पिता का नाम..... उम्र.....
(वर एवं कन्या की उम्र की पुष्टि हेतु शैक्षिक अथवा परिवार रजिस्टर की नकल की प्रमाणित प्रति नत्थी की जाय)
6. अन्य विवरण:-
(क) क्या आवेदिता विधवा पेंशन पा रही है?
(ख) क्या कन्या के माता-पिता नहीं हैं.....
(ग) क्या कन्या के माता अथवा पिता विकलांग हैं?
(यदि हाँ तो पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र नत्थी की जाय)
7. शादी की निश्चित तिथि (पुष्टि हेतु कार्ड आदि नत्थी किया जाय).....

संलग्नकों की सं0-

आवेदक / अथवा आवेदिका के हस्ताक्षर

श्री / श्रीमती द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं। प्रार्थी निर्धन एवं असहाय होने के कारण इन्हें अनुदान स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर / मुहर
ग्राम प्रधान अथवा वार्ड मेम्बर

हस्ताक्षर / मुहर
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

हस्ताक्षर / मुहर
सहायक समाज कल्याण अधिकारी



